अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ. 4 ( ) परावि/विधि/सुदृढीकरण/2011–12 1164 जयपुर, दि. ~~7~~ 8 जुलाई,2011

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषयः–**"मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना"** एवं **"इन्दिरा आवास योजना"** (Incentive & Regular) के तहत लाभार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पंचायत समिति स्तरीय एक दिवसीय सम्मेलन दिनांक 25.07.2011 से 27.07.2011 को आयोजित कराने बाबत।

महोदय,

जैसाकि आपको विदित है राज्य में ग्रामीण बी.पी.एल. आवासों की लम्बित मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2011–12 में की गई घोषणा की अनुपालना में राज्य में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 तक के लिए इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर **"मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना"** प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत राज्य के अधिसूचित क्षेत्र (TSP) एवं अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को आवास निर्माण हेतु ₹50000/– की अनुदान सहायता एवं राज्य के शेष अन्य पात्र परिवारों को ₹45000/– की अनुदान सहायता इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा संचालित **"मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना"** के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के लिए हडको ने 31 जिला परिषदों को 2.80 लाख आवासों हेतु रूपयें 1400 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है तथा राज्य के वित्त विभाग ने राज्य गारण्टी प्रदान की है। ऋण के पुनर्भुगतान का दायित्व जिला परिषद् का रहेगा तथा लाभार्थी को राशि इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर आवासीय सहायता अनुदान के रूप में दी जावेगी।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना" एवं **"इंदिरा आवास योजना"** के तहत राज्य में इस वर्ष 4.37 लाख परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध कराई जावेगी तथा 3 वर्षों (वर्ष 2011–12 से 2013–14) में 10 लाख ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। राज्य के इतिहास में राज्य सरकार की यह ऐतिहासिक पहल है।

उक्त योजनाओं की जानकारी देने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों का एक दिवसीय सम्मेलन प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर दिनांक 25.07.2011 से 27.07.2011 तक माननीय प्रभारी मन्त्री की अध्यक्षता में उनकी सहमति से आयोजित किया जाना है। प्रतिदिन इस प्रकार के अधिकतम दो पंचायत समितिवार कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि **आपके जिले की विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित माननीय विधायकगण जो माननीय**

मंत्रीगण/संसदीय सचिव हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम अलग से अन्य पंचायत समितियों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बाद माननीय प्रभारी मंत्री तथा संबंधित माननीय मंत्री/संसदीय सचिव से तिथि लेकर ही आयोजित किए जायें। अगर किसी पंचायत समिति में चयनित परिवारों की संख्या कम है एवं इन्हें पास की अन्य पंचायत समिति के चयनित परिवारों के लिये आयोजित होने वाले कार्यक्रम के साथ जोडा जा सकता हो तो एक से अधिक पंचायत समिति का सम्मिलित कार्यक्रम भी चिन्हित पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित किया जा सकता है परन्तु ऐसा करने से पूर्व जिला कलक्टर द्वारा स्वयं आयोजन संबंधी समस्त तैयारियों की समीक्षा के उपरान्त ही स्वीकृति प्रदान की जाए। अगर किसी पंचायत समिति के अन्तर्गत चयनित परिवारों की संख्या अत्यधिक हो एवं दो पंचायत समितियों के कार्यक्रम एक कार्य दिवस में आयोजित किया जाना सम्भव नहीं हो अथवा उपरोक्त वर्णित तीन दिवस में समस्त पंचायत समितियों में इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किया जाना सम्भव नहीं हो तो दिनांक 27.07.2011 के बाद अधिकतम एक सप्ताह के अन्तराल के बाद पुनः उपरोक्तानुसार शेष पंचायत समितियों के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। उचित होगा कि आप इस कार्यक्रम के संबंध में माननीय प्रभारी मन्त्री जी एवं संबंधित प्रभारी सचिव से स्वयं चर्चा कर समस्त आवश्यक तैयारी की समीक्षा कर लें ताकि कार्यक्रम का आयोजन समयबद्व तरीके से किया जा सके।

उपरोक्तानुसार पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी संबंधित पंचायत समिति अथवा समितियों के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को जारी की जाने वाली स्वीकृति का पंचायतवार एक पैकेट तैयार किया जायेगा जिसमें प्रत्येक चयनित लाभार्थियों को निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराये जावेंगेः–

(क) मुख्यमन्त्री बी.पी.एल ग्रामीण आवास योजना अथवा इन्दिरा आवास योजना (Regular and Incentive)की वित्तीय स्वीकृति पत्र ।

(ख) सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण का वित्तीय स्वीकृति पत्र ।

(ग) मुख्यमन्त्री बी.पी.एल. ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी के लिये प्रकाशित किया गया **आवेदन पत्र एवं अनुदेश पुस्तिका** । मुख्यमन्त्री बी.पी.एल. ग्रामीण आवास योजना के तहत चयनित प्रत्येक लाभार्थी के संबंध में उपरोक्त बिन्दु संख्या (क) के अनुसार जारी वित्तीय स्वीकृति पत्र भी **आवेदन पत्र एवं अनुदेश पुस्तिका के साथ संलग्न कर दिया जाए।**

जिला कलक्टर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं विकास अधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि **मुख्यमन्त्री बी.पी.एल. ग्रामीण आवास योजना** के तहत चयनित प्रत्येक लाभार्थी से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां **आवेदन पत्र एवं अनुदेश पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिनांक 20 जुलाई, 2011 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली गई है।**

पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमन्त्री बी.पी. एल. ग्रामीण आवाास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना (Regular and Incentive) के तहत चयनित समस्त लाभार्थियों का उपरोक्तानुसार पंचायतवार पैकेट तैयार कर दिया जाए। प्रत्येक पैकेट पर संबंधित पंचायत का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के समक्ष संबंधित सरपंच एवं ग्राम सेवक को पंचायतवार तैयार किया गया पैकेट माननीय प्रभारी मन्त्री जी के कर कमलों द्वारा वितरित किया जाए।

कार्यक्रम के समापन के तुरन्त पश्चात् पंचायतवार काउन्टर स्थापित कर प्रत्येक लाभार्थी को संबंधित सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा उपरोक्तानुसर आवास तथा शौचालय निर्माण हेतु अनुदान सहायता की स्वीकृति पत्र वितरित कर उसकी प्राप्ति रसीद ली जाएगी, जिससे कि समस्त लाभार्थियों को ऐसी स्वीकृतियॉ आवश्यक रूप से प्राप्त हो सके ।

उक्त सम्मेलन के मुख्य विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार होंगे :–

1. राज्य सरकार की पहल पर 3 वर्षो में 10 लाख ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को आवास निर्माण हेतु नवीन योजना **"मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना"** एवं **"इंदिरा आवास योजना"** की विस्तृत जानकारी देना।
2. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर **"भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों"** के निर्माण को एवं **"अपना खेत, अपना काम"** योजनाओं के कियान्वयन को गति प्रदान करने के संबंध में।
3. हर माह की 5, 12, 20 एवं 27 तारीख प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में **"ग्राम सचिवालय"** की व्यवस्था के बारे में जानकारी देना ।

उक्त सम्मेलन जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा एवं प्रभारी सचिव भी कार्यकम में उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण तथा जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख व जिला परिषद् के संबंधित सदस्यगण, सभी प्रधान, उप प्रधान व पंचायत समिति के सभी सदस्यगण, सभी सरपंच, उप सरपंच एवं पंच भाग लेंगे, जिन्हें जिला कलेक्टर अपने स्तर से समय व स्थान की सूचना के साथ आमंत्रित करेंगे। सम्बन्धित लाभार्थियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा विकास अधिकारियों के माध्यम से आमंत्रित करेंगे।

इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जिले की विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित माननीय विधायकगण जो माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम अलग से अन्य पंचायत समितियों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बाद माननीय प्रभारी मंत्री तथा संबंधित माननीय मंत्री/संसदीय सचिव से तिथि लेकर ही आयोजित किए जायें।

सम्मेलन स्थल पर टैन्टेज (बैठक हेतु कुर्सिया, दरियां, समस्त आवश्यक फर्नीचर आदि), वाटर प्रूफ मंच, माइक्र एवं पेयजल व्यवस्था को सुनिश्चित किया जावे। इस पर होने वाले व्यय की मद के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे है।

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

संलग्नः—कार्यक्रम

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुंख्यमंत्री।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव, समस्त।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान—जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिवगण, समस्त।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त।
6. समस्त जिला प्रमुख/प्रधान पंचायत समिति ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद् को प्रेषित कर लेख है कि पत्र में वर्णित सभी माननीय जन प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करना सुनिश्चित करें ।
8. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
9. गार्ड फाइल।

शासन सचिव एवं आयुक्त

—: कार्यक्रम का प्रारूप :—

"मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" की कियान्विति के संदर्भ में दिनांक 25.07.2011 से 27.07.2011 को पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं लाभार्थीयों के लिए आयोजित एक दिवसीय पंचायत समिति स्तरीय समारोह के कार्यकम का प्रारूप:

उद्‌बोधक	उद्‌बोधन का विषय
—	सम्मेलन का शुभारंभ
मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**"मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना"** एवं **"इन्दिरा आवास योजना"** की पृष्ठभूमि एवं दिशा–निर्देशों की विस्तृत जानकारी।
जिला कलेक्टर	• **"मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना"** एवं **"इन्दिरा आवास योजना"** के मुख्य बिन्दुओं की जानकारी देना। • **"सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान"** के तहत शौचालय निर्माण के लिए रूपये 3200/– की अतिरिक्त अनुदान सहायता की जानकारी देना। • महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर **"भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों"** के निर्माण एवं **"अपना खेत, अपना काम"** योजनाओं के कियान्वयन को गति प्रदान करने के संबंध में जानकारी देना।
क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद द्वारा उद्‌बोधन	
प्रधान	उक्त आवासीय योजनाओं एवं **"ग्राम सचिवालय"** व्यवस्था पर उद्‌बोधन
जिला प्रमुख	योजना की कियान्विति में पारदर्शिता एवं जनप्रतिनिधियों के समन्वय व नेतृत्व प्रदान करने में भागीदारी एवं भूमिका पर उद्‌बोधन।
प्रभारी सचिव	राज्य सरकार की नवीन पहल से प्रारम्भ की गई इस आवास योजना के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की भूमिका पर उद्‌बोधन तथा महात्मा गांधी नरेगा में समयबद्व भुगतान की उपलब्धि पर जानकारी देना।
प्रभारी मंत्री महोदय	राज्य सरकार की पहल पर, जिला परिषद के माध्यम से प्रारम्भ की गई इस नवीन आवासीय योजना पर उद्‌बोधन तथा महात्मा गांधी नरेगा की उपलब्धियों पर जानकारी देना। **"मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना"** एवं **"इन्दिरा आवास योजना"** के कुछ लाभार्थियों को प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति पत्र प्रदान करना।
विकास अधिकारी	धन्यवाद ज्ञापन।